संख्याः 839 /XVIII(2)/2010–1(31)/2010

प्रेषक,

एस0के0मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक:28 जुलाई,2010

विषयः–ग्राम किशनपुर छोई, तहसील रामनगर जिला नैनीताल में श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट (पंजीकृत) दिल्ली को, विभिन्न सास्कृतिक कार्यकर्मों के संचालन हेतु, आश्रम खोले जाने विषयक कुल 1.737 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–184/12–ज्येड०ए०सी०/2009–10 दिनांक–5.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, ग्राम किशनपुर छोई, तहसील रामनगर जिला नैनीताल में श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट (पंजीकृत) दिल्ली को, विभिन्न सास्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु, आश्रम खोले जाने विषयक, कुल 1.737 है0 भूमि कय की अनुमति, उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154 (4)(3)(क)(IV)के अन्तर्गत तथा संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, की अनापत्ति के क्रम में, जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा –129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विभिन्न सास्कृतिक कार्यकमों के संचालन हेतु आश्रम का निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित

जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओ से विमुक्त हैं तथा सम्बन्धित भूमि अथवा उसका कोई भी अंश अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से सम्बन्धित नही है।

8– सम्बन्धित क्षेत्र/भूमि की भूगर्भिक दशा एवं परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन/आंकलन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9– सम्बन्धित भूमि व उस पर प्रस्तावित निर्माण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम/वन्य जीव सरक्षण अधिनियम, एफ0ए0आर0 रूल्स अथवा अन्य कोई अधिनियम/नियम लागू होने/न होने तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी किन्ही विनियमों के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही/अनुपालन सम्बन्धित संस्था /ट्रस्ट द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– ईकाई द्वारा विदेशी निवेश सम्बन्धी एफ0सी0आर0ए0 आदि विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– संस्था द्वारा जल की आवश्यकता व उसकी उपलब्धता के स्रोतो का स्पष्ट तौर पर पूर्वाकलन/पहचान कर ली जायेगी एवं यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्था द्वारा जल का उपयोग करने से, स्थानीय स्तर पर जल उपलब्धता में कठिनाई न हो ।

12– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण,शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी

15– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

16– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव।

..................3

पृ0प0सं0--839 / समदिनांकित 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।

4– श्री राजीव कुमार अग्रवाल, महासचिव श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट (पंजीकृत), सी0–3/14, अशोक विहार, दिल्ली।

5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।

6– प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।